सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक : 30.04.2025

सेवा मे,

1 **उपायुक्त,**
जिला – खूंटी
समाहरणालय खूँटी , कमरा संख्या-4,
खूंटी, झारखंड 835210
Email Id: dc-kht-jhr@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक,**
जिला – खूंटी
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कदमा
खूंटी, झारखंड 835210
Email Id: sp-khunti@jhpolice.gov.in

विषय: नामकब्जा करने -पता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर साजिश के तहत् दखल-भेंगरा की कोशिश करने के सम्बन्ध में श्रीमति इन्दुमती, पति – श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम – मैदान टोली (कदमा), थाना – खूंटी, जिला – खूंटी का आभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

<u>प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:</u>

श्रीमति इन्दुमती भेंगरा ,
पति – श्री हेरमन भेंगरा,
ग्राम – मैदान टोली (कदमा),
थाना – खूंटी, जिला – खूंटी,
झारखण्ड - 835210,
मो न :7320000345

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW

श्रीमति इन्दुमती भेंगरा , पति – श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम – मैदान टोली (कदमा), थाना – खूंटी, जिला – खूंटी (मो.7320000345) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।

यह शिकायत दिनांक 24.09.2024 को श्रीमति इन्दुमती भेंगरा , पति – श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम – मैदान टोली (कदमा), थाना – खूंटी, जिला – खूंटी से आयोग को प्राप्त हुई | जिसमे उन्होंने बताया की 1965 से वह अपनी जमीन मौजा-कदमा, थाना-खूँटी/84, खाता नं0-34, प्लॉट नं0-47, रकबा 0.42 डी० पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने बाबा के साथ घर-मकान बना कर रहती चली आ रही है । परन्तु उनके घर में किराये पर रहने वाले जैकी उर्फ स्टीफन एक्का, पिता-बरनाबस एक्का अपनी पत्नी अनस्तासिया तिर्की / एक्का की आड़ में उनकी जमीन पर भिन्न-भिन्न तरीकों से दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। इस जमीन को लेकर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी, ऑनलाईन दा०खा० अपील वाद सं0-122/2022-23 में आरोपी की दावेदारी रद्द की जा चुकी है। फिर न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी, वाद सं0-M-117/2023, धारा-145 द०प्र०सं० में भी आरोपी की दावेदारी रद्द की जा चुकी है । इसके बावजूद उक्त व्यक्ति अपनी पत्नी अनस्तासिया तिर्की / एक्का की आड़ में विभिन्न तरीकों से शिकायतकर्ता की जमीन पर दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है । उन्होंने आगे शिकायत में बताया की उक्त व्यक्ति जैकी उर्फ स्टीफन एक्का, पिता-बरनाबस एक्का घुसपैठिया की तरह अपना नाम-पता बदलकर अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़की से विवाह कर फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी वोटर कार्ड बनाकर अपनी पत्नी अनस्तासिया तिर्की/ एक्का, पुत्र नितिन निर्मल एक्का के साथ शिकायतकर्ता के घर पर रह रहा है। शिकायतकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया है की आयोग मामले में उनकी मदद करें और आरोपियों पर कार्रवाई हो |

2. आयोग द्वारा मामले में को उपायुक्त , खूंटी , जिला – खूंटी , झारखण्ड और पुलिस अधीक्षक, खूंटी , जिला – खूंटी, झारखण्ड को नोटिस भेजा गया।

3. पुलिस अधीक्षक, खूंटी , जिला – खूंटी से उत्तर दिनांक 29.10.2024 प्राप्त हुआ जिसमे आयोग को अवगत कराया गया कि थाना प्रभारी, खूँटी द्वारा की गई जाँच में अनस्तासिया तिर्की / एक्का ने बताया कि वह जन्म से उक्त पते पर रह रही हैं और वर्षों से अपने पुत्र नितिन निर्मल एक्का के साथ वहीं निवास कर रही हैं। उनके पति/प्रेमी जैकी उर्फ स्टीफन एक्का (पिता बरनाबस एक्का) वर्षों पहले मतभेद के कारण कहीं चले गए और उनसे कोई संपर्क नहीं है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि अनस्तासिया तिर्की / एक्का, उनके पुत्र या उनके पति के नाम कोई जमीन-जायदाद नहीं है। आस-पास के निवासियों सुषमा तोपनो व अनस्तास्या

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

..पनो ने भी पुष्टि की कि अनस्तासिया तिर्की / एक्का किराए पर रह रही हैं, और उनके पति को कई वर्षों से इलाके में नहीं देखा गया। इसके अलावा, सुषमा गुड़िया एवं इन्दुमती भेंगरा के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। आवेदिका इन्दुमती भेंगरा एवं अन्य व्यक्तियों के पास जैकी उर्फ स्टीफन एक्का से संबंधित कोई प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी पहचान और भूमि स्वामित्व से जुड़ी जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी।

4. आयोग द्वारा मामले मे दिनांक 28.03.2025 को सुनवाई रखी गई थी जिसमे संबन्धित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण सम्पन्न नहीं हुई |

5. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान जिला पदाधिकारी व् पुलिस अधीक्षक खूँटी व् एंव प्रार्थी उपस्थित रहे ।

6. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया एंव यह बताया गया की CO व् पुलिस अधीक्षक मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट बनायेंगे व् 30 दिवस में आयोग को प्रेषित करेंगे ।

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 12:40 PM in the case of **श्रीमति इन्दुमती भेंगरा** , पति – श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम – मैदान टोली) कदमा(, थाना – खूंटी, जिला – खूंटी नाम-पता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर साजिश के तहत् दखल-कब्जा करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**जिला खूँटी, झारखंड**		
1.	Aman Kumar SP KHUNTI	9431706116	[signature]
2.	Parmeshwar Munda A.C. Khunti	993118542?	[signature]
3.			
4.			
III	**अभ्यावेदक**		
1.	Gulshan Bhengra	8340441687	[signature] 17.04.2025
2.			